उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

संख्याः1836/छः-पु-1-15-1300(7)-1994

लखनऊः दिनांकः28 सितम्बर , 2015

संख्याः1836/छः-पु-1-15-1300(7)-1994

लखनऊः दिनांकः15 मार्च , 2016

प्रथम संशोधन नियमावली, 2016

संख्याः18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994

लखनऊः दिनांकः19 अक्टूबर , 2016

द्वितीय संशोधन नियमावली, 2016

संख्याः7/2018/2369/6-पु-1-18-1300(7)-1994

लखनऊः दिनांकः11 जून , 2018

तृतीय संशोधन नियमावली, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सेटबुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्याः 40 सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त निर्गत समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमणकरकेराज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के रेडियो निरीक्षक, रेडियो उप निरीक्षक, प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यात्रिक), सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015

भाग-1-सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- सेवा की प्रास्थिति

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पद समाविष्ट हैं।

3- परिभाषाएं

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी एक्ट, 1948 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य रेडियो निरीक्षक एवं रेडियो उप निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार) तथा प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक), सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी से है;

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ड.) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार/अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशेधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

() ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा से है;

(ट) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा समय-स मय पर गठित चयन समिति से है;

(ठ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो;

(ड) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

4- सेवा का संवर्ग

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम-1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, निम्नलिखित होगीः-

क्र. सं.	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग
1.	कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड)	110	78	188
2.	सहायक परिचालक	700	878	1578
3.	प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक)	903	2097	3000
4.	रेडियो उप निरीक्षक	466	330	796
5.	रेडियो निरीक्षक	45	51	96

परन्तु यह किः-

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत आवंटन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनःअवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार होगा;

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5-भर्ती का श्रोत

सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जाएगीः-

(क) कर्मशाला कर्मचारीः-

(दो) 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह-"घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से इलेक्ट्रानिक्स/ टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल/ कम्प्यूटर साइंस/ इन्फारमेशन टेक्नोलोजी/ रेडियो एवं टेलीविजन/ इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग/ रेफ्रीजरेशन/ मैकेनिक इन्सट्रूमेंट /मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/ कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) सहायक परिचालकः-

(दो) 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी – तीन उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,

प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक)

(एक) 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस रेडियो विभाग के मृत कार्मिकों के ऐसे आश्रित जो प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक) के पद पर मृतक श्रेणी के आश्रित के रूप में आवेदन करते हैं उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार के माध्यम से विनिश्चित की गयी नीति के अनुसार की जायेगी । निर्वन्धन यह है कि प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यात्रिक) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष होने वाली रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(दो) 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालको में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी– दो उत्तीर्ण की हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणीः- प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का 50 प्रतिशत को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा ।

परन्तु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक कि सीधी भर्ती द्वारा डरे गये पदों की कुल संख्या कुल स्वीकृत पदों की संख्या का 50 प्रतिशत न हो जाय । इसके पश्चात रिक्तियं सम्बन्धित श्रेणी में भरी जाएगी ।

(घ) रेडियो उप निरीक्षक:- रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यांत्रिक) से परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-एक उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ड.) रेडियो निरीक्षक:- रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक से भरे जायेंगे, जिन्होने रेडियो उपनिरीक्षक अथवा रेडियों केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

6- आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। परन्तु यह और कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों केलिये आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग-चार- अर्हताएं

7- राष्ट्रीयता

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियाँ (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8-शैक्षिक अर्हता

(क) कर्मशाला कर्मचारी:-

अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी कीसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल/ कम्प्यूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्नोलोजी/ रेडियो एवं टेलीविजन/ इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग /रेफ्रीजरेशन/ मैकेनिक इन्सट्रूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/ कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) सहायक परिचालक:-

अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्षमान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)-

अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/ कम्प्यूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्नोलोजी/इन्सटूमेंटेशन टेक्नोलोजी/मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

9- अधिमानी अर्हताएं

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(1) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./एन.आई.ई.एल.आई.टी.सोसायटीसे कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; या

(2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी '' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी:-उपर्युक्त अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगें, किन्तु दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी को नियम-15 के अधीन चयन सूची में अधिमान दिया जायेगा।

10- **आयु**

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है किजिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियां विज्ञापित की जांय, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने सहायक परिचालक पद हेतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो तथा शेष पदों के लिए अभ्यर्थी ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और बोर्ड द्वारा रिक्तियों केप्रकाशन के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जांय।

11- चरित्र

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।
टिप्पणीः-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत् व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12- वैवाहिक प्रास्थिति

ऐसा कोई पुरूष /स्त्री-

(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरूष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसकी पति/पत्नी जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/ पुरूष से विवाह किया हो, उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिये लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

13- शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करे।

टिप्पणी:- चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोज वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

परन्तु यह किसमय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित शिथिलता प्रदान की जायेगी।

भाग-पाँच -भर्ती की प्रक्रिया

14- रिक्तियों का अवधारण

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष पुरूष एवं महिला दोनो अभ्यर्थियों रिक्तियो की अलग-अलग संख्या पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे जो इसे बोर्ड एवं सरकार को भी प्रषित करेगा। तत्पश्चात पुरूष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक रिक्तियाँ बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों एवं जन संचार के अन्य माध्यमों से अधिसूचित की जायेगी।

कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक(यांन्त्रिक) के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15- क- आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र

कोई अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। विभागाध्यक्ष बोर्ड से परामर्श करके किसी क्षर्ती के ए वादेन शुल्क नियत करेगा। आवेदन पत्र भरे जाने एवं बुलावा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया र्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी क्षर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी प्रक्रम पर बिनाकोई कारण बताये निरस्त कर सकती है ।

(ख) लिखित परीक्षा-

ऐसे अभ्यर्थियों , जिनके आवेदन सही पाये जाये, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मलित होने की अपेक्षा की जायेगी । इस लिखित परीक्षा में बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ट प्रकार का निम्नलिखित विषययों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जायेगाः-

विषय अधिकतम अंक

	विषय	अधिकतम अंक
1.	सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
2.	विज्ञान/सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
3.	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
4.	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी ,भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा । लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (क) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी । रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को अपने स्तर पर विनिश्चत करेगा । अभ्यर्थियों हेतु शारीक मापदण्ड निम्नलिखित हैः-

1- पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् हैः-

(क) ऊँचाई:

(एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीनाः

सामान्य/अन्य पिछडी जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर के कम नही होगा।

टिप्पणी-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई:

(एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गों या अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है.

(ख) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगे।

इस परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकते है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते है को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा-

खण्ड (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 किमी0 की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किमी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नही करते हैं, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिता का गठन किया जायेगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्षता होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य , जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(ड.) चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची-

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बोर्ड आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए, रिक्तियों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम एक चयन सूची तैयार करेगा और उसे

संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेगा जो अनुमोदनोपरान्तइसे आग्रेतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यथियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा पे्रषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणीः- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम में दी गयी प्रक्रियानुसार विनिश्चितकी जायेगीः--

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (नियम-9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) फिर भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा।

(3) यदि उपरिलिखित एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, किया जायेगा।

(च) चिकित्सा परीक्षण

ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में है , से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक होंगे। जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से यथा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रारूप'' के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा। कोई भ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन अपील फाइल कर सकता हैं। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार निही किया जायगा यदि अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा एवं स्वयं के परिणाम की घोषणा के दनांक को अपील दाखिल नहीं करता है। अपील हेतु गठित चिक्त्सा परिषद् में आवेदक के चिक्त्सा दोष से सम्बन्धित विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा संचालतित करने हेतु विस्तत अनुदोश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए अग्रनीत किया जाएगा।

16- चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने से पूर्व, चरित्र सत्यापन पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए अग्रनीत किया जायेगा।

17- **पदोन्नति हेतु प्रक्रिया-**

1- **(क) कर्मशाला कर्मचारीः-**

कर्मशाला कर्मचारी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह-''घ'' के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टीआई.) से इलेक्ट्रानिक्स/

टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस/ इन्फारमेशन टेक्नोलोजी/रेडियो एवं टेलीविजन/ इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग/ रेफ्रीजरेशन/ मैकेनिक इन्सट्रूमेंट /मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/ कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) सहायक परिचालकः-

सहायक परिचालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-तीन उत्तीर्ण कर ली हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,

टिप्पणीः- पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को, ज्येष्ठताक्रम में सहायक परिचालक आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक आगामी रिक्ति के लिए यथासम्भव पाँच कर्मशाला कर्मचारी इस पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायंगे।

(ग) प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यांत्रिक) -

प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक) के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-दो उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्णी-प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के कुल स्वीकृत पदों में 50 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। परन्तु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक कि सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों की कुल संख्या , कुल स्वीकृत पदों संख्या का 50 प्रतिशत न हो जाय। इसके पश्चात रिक्तियाँ सम्बन्धित श्रेणी में भरी जायेंगी।

(घ) रेडियो उप निरीक्षकः-

रेडियो उप निरीक्षक केस्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यांत्रिक) में से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-एक उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ड.) रेडियो निरीक्षकः-

रेडियो निरीक्षक केस्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक में से भरे जायेंगे जिन्होने रेडियो उपनिरीक्षक अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

2- **पदोन्नति हेतु चयन समिति**

(क) पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित किया जायेगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित किया जायेगा और शेष सदस्य शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा चयन बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ड.) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त चयन सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अन्तिम पदोन्नति आदेश निर्गत के लिये प्रेषित करेगा

(च) चयन सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग छः नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18- नियुक्ति

(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम-15 व नियम-17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, नियुक्तिया करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी नियम-15 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र में यह अपेक्षा की जायेगी कि वे नियुक्ति पत्र के जारी किये जाने के दिनाक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनाक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगाः

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियां के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि नियम-17 के अन्तर्गत तैयार की गयी संयुक्त चयन सूची में होः

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

19- प्रशिक्षण

(1)(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक तथा प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक) के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। आधारभूत प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित

अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) आधारभूत प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों की सेवाऐं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

20- परिवीक्षा

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिाक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढाई जायः

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जांय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21- स्थायीकरण

(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदिः

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहा उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम-(3) के अधीन यह घोषणा

करते हुएआदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22- ज्येष्ठता

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतनमान

23- वेतनमान

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, नियुक्त व्यक्तियों को ऐसा वेतनमान अनुमन्य होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिए जा रहे हैं:-

क्र सं	पद का नाम	वेतन बैण्ड (रूपये)	ग्रेड-पे (रूपये)
1.	कर्मशाला कर्मचारी	5200-20200	रू0 2000
2.	सहायक परिचालक	5200-20200	रू0 2400
3.	3प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यांत्रिक	9300-34800	रू0 4200
4.	रेडियो उप निरीक्षक	9300-34800	रू0 4600
5.	रेडियो निरीक्षक	9300-34800	रू0 4800

टिप्पणीः सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विशेष वेतन/व्यवसाय वेतन और अन्य भत्ते पाने के भी हकदार होगें।

24. **परिवीक्षा अवधि में वेतन**

(1) फण्डामेंट रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

25- **पक्ष समर्थन**

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26- **अन्य विषयों का विनियमन**

ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या उपबन्धों, विनियमो एवं आदेश के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति यथास्थिति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अन्य उपबन्धों, विनियमों और आदेशें के अनुसार शासित होंगे।

27- सेवा की शर्तो में शिथिलता

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओ को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

28- व्यावृत्ति

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायातो पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियो के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।